न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

(जी.सी.एम.एस.नम्बर 2024/80)

मुकदमा नम्बर :–09/2024

राजस्थान सरकार जरिये, प्रवर्तन निरीक्षक बाडी ————— प्रार्थी

बनाम

वचनसिंह कुतल पुत्र श्री वृजेन्द्र सिंह कुंतल उम्र करीब 42 बर्ष निवासी गूगस कोलोनी थाना कोतवाली के पास किला बाडी जिला धौलपुर ————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –
1 – प्रार्थी की ओर से :– सहायक लोक अभियोजक (प्रथम),धौलपुर
2 – अप्रार्थी की ओर से :– श्री रामअवतार गौड एडवोकेट, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ★ धौलपुर (राज0) ★

निर्णय दिनांक 08.09.2025

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 20.12.2024 को टीम के साथ प्रवर्तन निरीक्षक बाड़ी जिला धौलपुर द्वारा गूगस कॉलोनी कोतवाली थाना के पास किला, बाड़ी स्थित श्री वचन सिंह कुंतल पुत्र श्री वृजेन्द्र सिंह कुंतल उम्र करीब 42 वर्ष जाति जाट के मकान पर घरेलू एलपीजी के अवैध भण्डारण, क्रय–विक्रय एवं कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर जाकर कार्यवाही की गई। उक्त मकान में कुल 77 घरेलू गैस सिलेण्डर (एचपीसीएल–21, बीपीसीएल–38 एवं आईओसीएल–18) मय एल.पी. जी. रखे हुए पाये गये। मौके पर जांच दल के समक्ष दुकान पर उपस्थित व्यक्ति ने स्वयं को वचन सिंह कुंतल पुत्र श्री वृजेन्द्र सिंह होना बताया और स्वयं द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को आस–पास की गैस एजेंसियों से 830रू. प्रति सिलेण्डर खरीदकर 840रू. प्रति सिलेण्डर बेचना बताया। वचन सिंह द्वारा उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर से प्राप्त ओटीपी से गैस सिलेण्डर की बुकिंग किया जाना बताया गया। मौके पर वचन सिंह से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के लिए वांछित आवश्यक दस्तावेज इत्यादि की मांग किये जाने पर वचन सिंह द्वारा कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया गया तथा ना ही इस बावत्

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण, क्रय–विक्रय एवं कालाबाजारी में उपयोग करने पर एल.पी.जी. कंट्रोल ऑर्डर 2000 के उपबंधों का उल्लंघन पाये जाने पर जब्त ए सरकार किया जाकर उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों को बाड़ी शहर स्थित शंभू गैस सर्विस (इण्डेन) के प्रतिनिधि/डिलीवरी मैन श्री फिरोज पुत्र सलीम उम्र 34 वर्ष जाति मुस्लिम निवासी जोशी पाड़ा बाड़ी मोबाईल नंबर–8000854701 को सुपुर्दगी में दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा 77 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस 737.1 किग्रा को राजसात करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ मूल फर्द मौका, जप्ती एवं सुपुर्दगीनामा, नजरीनक्शा, फर्द तलपट्‌टी, मौका बयान पेश किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाते हुए इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि वह इस नोटिस के संवन्ध में अपना पक्ष रखना चाहता या दस्तावेज पेश करना चाहता हो तो असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी की ओर से श्री रामअवतार गौड अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी/अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा बार–बार जबाव हेतु समय चाहा गया। कई बार मौका दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी/अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जबाव पेश नहीं किया गया। अंत में अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाव पेश करने से इंकार किया गया तथा नोटिस का जबाब प्रस्तुत नहीं किया। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में सीधे ही बहस करने का कथन किया गया ।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया दिनांक 20.12.2024 को टीम के साथ प्रवर्तन निरीक्षक बाड़ी जिला धौलपुर द्वारा गूगस कॉलोनी कोतवाली थाना के पास किला, बाड़ी स्थित श्री वचन सिंह कुंतल पुत्र श्री वृजेन्द्र सिंह कुंतल उम्र करीब 42 वर्ष जाति जाट के मकान पर घरेलू एलपीजी के अवैध भण्डारण, क्रय–विक्रय एवं कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर जाकर कार्यवाही की गई। उक्त मकान में कुल 77 घरेलू गैस सिलेण्डर (एचपीसीएल–21, बीपीसीएल–38 एवं आईओसीएल–18) मय एल.पी.जी. रखे हुए पाये गये। मौके पर जांच दल के समक्ष दुकान पर उपस्थित व्यक्ति ने स्वयं को वचन सिंह कुंतल पुत्र श्री वृजेन्द्र सिंह होना बताया और स्वयं द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को आस–पास की गैस एजेंसियों से 830रू. प्रति सिलेण्डर खरीदकर 840रू. प्रति सिलेण्डर बेचना बताया। वचन सिंह द्वारा उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर से प्राप्त ओटीपी से गैस सिलेण्डर की बुकिंग किया जाना बताया गया। मौके पर वचन सिंह से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के लिए वांछित आवश्यक दस्तावेज इत्यादि की मांग किये जाने पर वचन सिंह द्वारा कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया गया तथा ना ही इस बावत् कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण, क्रय–विक्रय एवं कालाबाजारी में उपयोग करने पर एल.पी.जी. कंट्रोल ऑर्डर 2000 के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है।

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

उक्त आदेश के उल्लघंन पाये जाने पर मौके पर जब्त गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 स्वीकार नहीं है, दिनांक 20.12.2024 को किसी भी टीम द्वारा प्रार्थी की किसी दुकान पर कोई कार्यवाही नही की गई और यदि किसी प्रकार की कार्यवाही की भी गई है तो वह प्रार्थी से संबधिंत नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 स्वीकार नहीं है, प्रार्थी किसी भी दुकान में किसी प्रकार का कोई अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. गैस व अन्य सामान नहीं पाया गया है। प्रार्थना पत्र मद संख्या 3 स्वीकार नहीं है, प्रार्थी का उक्त कार्यवाही से किसी प्रकार का कोई सम्बध व सरोकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 स्वीकार नहीं है, प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है, किसी भी कार्यवाही के दौरान इस मद में वर्णित जो भी सामान जब्त किया जाना अंकित किया है, उक्त सामान से प्रार्थी का कोई सम्बध व सरोकार नहीं है, इस लिए उक्त सामान को राजसात किये जाने में प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का कोई अवैध भण्डारण, क्रय–विक्रय एवं कालाबाजारी नहीं किया गया और ना ही एल.पी.जी. कण्ट्रोल ऑर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लंघन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी से सम्बधिंत नही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी को दिया गया नोटिस अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम निरस्त फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है दिनांक 20.12.2024 को टीम के साथ प्रवर्तन निरीक्षक बाड़ी जिला धौलपुर द्वारा गूगस कॉलोनी कोतवाली थाना के पास किला, बाड़ी स्थित श्री वचन सिंह कुंतल पुत्र श्री वृजेन्द्र सिंह कुंतल उम्र करीब 42 वर्ष जाति जाट के मकान पर घरेलू एलपीजी के अवैध भण्डारण, क्रय–विक्रय एवं कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर जाकर कार्यवाही की गई। उक्त मकान में कुल 77 घरेलू गैस सिलेण्डर (एचपीसीएल–21, बीपीसीएल–38 एवं आईओसीएल–18) मय एल.पी.जी. रखे हुए पाये गये। मौके पर जांच दल के समक्ष दुकान पर उपस्थित व्यक्ति ने स्वयं को वचन सिंह कुंतल पुत्र श्री वृजेन्द्र सिंह होना बताया और स्वयं द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को आस–पास की गैस एजेंसियों से 830रू. प्रति सिलेण्डर खरीदकर 840रू. प्रति सिलेण्डर बेचना बताया। वचन सिंह द्वारा उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर से प्राप्त ओटीपी से गैस सिलेण्डर की बुकिंग किया जाना बताया गया। मौके पर वचन सिंह से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के लिए वांछित आवश्यक दस्तावेज इत्यादि की मांग किये जाने पर वचन सिंह द्वारा कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया गया तथा ना ही इस बावत् कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण, क्रय–विक्रय एवं कालाबाजारी में उपयोग करने पर एल.पी.जी. कंट्रोल ऑर्डर 2000 के उपबंधों का उल्लंघन है यदि अप्रार्थी द्वारा किये गये इस कृत्य को नहीं रोका गया तो अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार के अवैध कृत्य करने का साहस करेगें, जो कानूनन सही नहीं है।

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्तशुदा कुल 77 घरेलू गैस सिलेण्डर (एचपीसीएल–21, बीपीसीएल–38 एवं आईओसीएल–18) मय एलपीजी गैस 737.1 किग्रा को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खाद्य विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत् न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर जो जब्त पड़े हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर जो जब्त या राजसात किये गये हैं, को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है, इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धनराशि प्राप्त होगी, वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा सिलेण्डरों का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। जिला रसद अधिकारी धौलपुर आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ★ धौलपुर (राज०) ★